Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2020, VOL- 7/59

घरेलू हिंसा और भारतीय समाज में महिला

कमलेश कुमार राय, Ph. D.

राजनीतिक विज्ञान, शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बभनबरेहटा

करगहर, रोहतास (बिहार)

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

घरेलू हिंसा का सबसे बरबर रूप पति का पत्नी का द्वारा पीटा जाना जो मौन अपराध कहलाता है । जबकि पति जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है । एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिसपर वह सर्वाधिक विश्वास करती, अपना सर्वस्त्र और परमे वर मानती है, एक छिन्न–भिन्न करने वाला अनुभव होता है । पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना उसे लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश करना जैसी घटनाएँ कई बार सुनने में आती है । कानूनी रूप से आज महिला चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो, फिर भी स्त्रियाँ घर में उनके पति की हिंसा के विरूद्ध पुलिस में शिकायत नहीं करती और कानून व न्यायालय की भारण नहीं लेती है। इस बारे में पुलिस की दृश्टिकोण भी असहयोगी हीं होता है । वह इसे घरेलू मामला, पति–पत्नी का निजी मामला मानकर कोई कार्यवाही नहीं करती।

नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक और सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक निंदा आदि करणों से व कुछ भाांत भाव से सहन कर लेती है । इसे ह ीवह अपना भाग्य या पूर्व जन्मों का फल मान लेती है । समाज के लोग भी उसे सहिश्णु होने का उपदेश देते हैं । उससे कहा जाता है कि पिता के घर से डोली में बैठकर आयी थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी और वह बेचारी जहर का घूंट पीकर जिन्दा लाश की तरह घर में बनी रहती है । घरेलू हिंसा के कारणों में मुख्य रूप से पारिवारिक, भावनात्मक गड़बड़, प्रति के अहं या

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हीन भावना, पति का भाराबी होना, बिना प्रयास के जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना और औरत को पैसा बनाने वाली मशीन के रूप में देखना, महिला की आर्थिक एवं निर्भरता, औरत की यौनिकता पर नियंत्रण के चलते उसपर भाक करना कि उसके किसी अन्य पुरूश से संबंध है, समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिलाओं की अशिक्षा व निर्धनता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुश्प्रभाव, पति को परमे वर मानकर सब कुछ सहन करना अथवा पत्नी की निश्क्रियता एवं कायरता आदि शामिल है । उपरोक्त कारणों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो पुरूश को हिंसक होने की वजह मानते हैं, जैसे पुरूश को बिना बताए बाहर जाना, बच्चों का ध्यान न रखना, पति से अनाव यक बहस करना, शारीरिक संबंध बनाने से मना करना, समय पर खाना न बनाना, पराए पुरूशों से ज्यादा बातें करना आदि ।

महिलाओं पर होने वाली हिंसा का कारण उपरोक्त में से कोई भी हो परन्तु अधिकां ातः यह देखा गया है कि शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अ िाक्षित स्त्रियों को घरेलू हिंसा का अधिक शिकार होना पड़ता है । हम जब भी समाचार पत्र पढ़ने बैठते है तो महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की खबरों से समाचार पत्रों से भरा पाते हैं । आज के परिवश में जब पति पत्नी, बच्चे सभी मानसिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र हैं तो इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है ? आ चर्य तो इस बात का है कि संभ्रान्त परिवारों में से उच्च पद पर होते हुए भी पति द्वारा मानसिक यातनाएँ दिए जाने की खबरें पढ़ने को मिलती है । मध्यम वर्ग में भी जो महिलाएँ अपने पति पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है, न चाहते हुए भी पति की यातनाएँ सहनी है क्योंकि वह विरोध नहीं कर पाती, और अपने परिवार व बच्चों की खातिर चुप रहना बेहतर समझती है । आज भी लगभग 80 प्रति ात निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है । महिलाएँ अपना व परिवार का पेट पालने के लिए कुछ भी काम करने को मजबूर है । वह काम चाहे बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, मजदूरी या सब्जी बेचने का हो । अधिकतर महिलाओं के पति घर में रहते हैं और बेरोजगार होते हैं या यू कहियें कि काम नहीं करना चाहते अपनी औरतों को सम्मान देने के बजाय अपनी भाराब के लिए पैसे की माँग करते हैं और मारपीट करते हैं उन्हें भारीरिक व मानसिक यातनाएँ भी देते हैं।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

घरेलू हिंसा का महिलाओं पर व्यापक असर पड़ता है । इसके कारण डिप्रे ान में आ जाती है और उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । जीवन के प्रति उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है । बहुत सी महिलाएँ भाराब व सिगरेट का सेवन करने लगती है । दूसरा भाारीरिक, मानसिक भावनात्मक क्षय औरत के व्यक्तित्व को कुचल देता है । स्त्री के काम, निर्णय लेने की क्षमता, परिवार में आपसी रि तों और पास पड़ोस के साथ रि तों व बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है । स्त्री की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती है । महिलाओं की कार्यक्षमता घटती है । वे डरी–डरी सहमी रहती है । वे मानसिक रोगी बन जाती है । जो कभी–कभी पागलपन तक पहुँच जाती है । घरेलू हिंसा की ि ाकार महिलाओं को कुपोशण, रक्त और वनज की कमी जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है । इसी के साथ घरेलू हिंसा से केवल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक क्षति पहुँचती है । उच्च मध्यम वर्ग की कामकाजी महिलाएँ जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है कार्य से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहती है जिस कारण बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है ।

भारतीय महिलाएँ एक विचित्र विरोधाभास की तस्वीर प्ररूतुत करती है, जहाँ एक ओर देश से सर्वाधिक भाक्ति ाली पदों पर वह आसीन है, तो आज भी यदाकदा पति की चिता पर बैठकर आत्मदाह करने वाली सती के उदाहरण भी मौजूद हैं । इस प्रकार भारतीय महिला एक मिथक के रूप में जीती है, जहाँ प्रत्येक पुरूश के साथ सम्मान रूप में ''श्री'' का उद्‌बोधन महिला भाक्ति के प्रति आस्था प्रदर्शित करता है, तो वहीं समाचार पत्र महिला हिंसा की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, वहाँ दुर्गा के रूप में उसकी पूजा कर भाक्ति का वरदान माँगा जाता है, किन्तु उसी भाक्ति को जन्म लेने से पहले हीं जीवन विहीन भी कर दिया जाता है, आज कैसी विडम्बना, दुस्साहस व आत्मघात है? अपनी ही भाक्ति को, अपने ही आधे अंग को, अपने ही आधे भारीर को भाक्तिविहीन बनाकर यह भारतीय समझ अपनी ही भाक्ति पर सदियों से क्यों कुठाराघात करता आ रहा है ।

आज महिला सशक्तिकरण के दौर में जहाँ स्त्रियों ने स्कूल, कॉलेज प्रशासन की दौड़ में प्राथमिकताएँ हासिल की है, अर्थतंत्र में भागीदारी निभाई, ज्ञान–विज्ञान की बुलंदियों

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

का स्पर्श किया । राजसत्ता की राजनीति में छलांग लगाई और सफल सिद्ध हुई लेकिन पुरूश सत्ता की देर घरेलू हिंसा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा । घरेलू हिंसा की प्रेतछाया उसे जकड़े रही । कहते हैं कि सुरक्षित घर और सुरक्षित परिवार एक सुरक्षित व सभ्य समाज की नींव रखते हैं । पर घर–गृहस्थ जीवन ने औरत को अधिकांशतः सुरक्षा नहीं दी । अतः महिलाओं को उनके अधिकार एवं उन्हें सम्मानजनक जिन्दगी देने तथा घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक को 13 सितम्बर 2005 को अधिनियम का रूप दे दिया गया ।

यह अधिनियम महिला स ाक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक ठोस व व्यावहारिक कदम है । जिसके वास्तविक क्रियान्वयन से नि ि चत ही समूचा महिला वर्ग लाभान्वित हो सकेगा । यह जरूरी नहीं है कि केवल पत्नी ही घरेलू हिंसा की शिकार हो इसलिए इस अधिनियम में पत्नी के अलावा, बेटी, बहन, माँ, भाभी, सास, दादी, नानी, नौकरानी आदि को भी भाामिल किया गया है । इसके अलावा यदि परिवार का मुखिया अपनी हैसियत, पद या प्रतिश्ठा का दुरूपयोग करते हुए अपनी बात मनवाने हेतु शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देता है तो उसे भी हिंसा माना जाएगा ।

अतः प्रत्येक व्यक्ति को महिला हिंसा का दोशी बनने से बचना चाहिए एवं सदियों से भाोशित पीड़ित उपेक्षित व हतोत्साहित महिला वर्ग के विकासार्थ अपना योगदान सुनि ि चत करना चाहिए । इस अधिनियम में शिकायत का तरीका एवं सजा के प्रावधान को देखें तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की जानकारी मिले या प्राप्त हो वह संबंधित संरक्षण अधिकार को सूचना दे सकता है । शिकायत पत्र सादे कागज पर लिखकर दिया जा सकता है । इसके अलावा सजा के लिए अधिनियम की धारा में उल्लेख है कि मजिस्ट्रेट प्रताड़ित को मुआवजा दिला सकता है वह तुरन्त अन्तरिम आदेश जारी करके उसका अनुपालन कराने के लिए संरक्षण अधिकारी को आदेश भी दे सकता है । निर्णय का पालन न होने पर जुर्माना या सजा या दोनों को देने का अधिकार भी मजिस्ट्रेट को प्राप्त है । संरक्षण अधिकारी को महिला की चिकित्सकीय जाँच कराने, महिलाओं को कानूनी मदद और सुरक्षित आवास दिलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है । धारा 3 के अनुसार संरक्षण अधिकारी

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

के कानूनी व अन्तरिम आदेश का अनुपालन न होने पर आरोपी को एक साज की सजा या 20,000/– रूपये या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

इस तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा एवं अत्याचारों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है । यह कानून सुधारात्मक उपायों की अभिव्यक्ति है जिसे पहले लागू नहीं कर पाये थे लेकिन महिलाओं को राहत देने के लिए अब लागू कर दिया गया है । घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से पहले भी महिलाओं के हितों में कानून बनें (जैसे–दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम, सती प्रथा निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम भ्रूण हत्या निरोधक अधिनियम आदि) इन कानूनों के बाद भी महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित दिखाई नहीं देती है । इसी कारण अधिनियम की प्रासंगिकता पर प्र न चिन्ह लगना स्वाभाविक है । चूँकि इस कानून में सुधारात्मक अधिव्यक्ति की गई और महिलाओं को राहत देने के लिए इसे लागू किया गया है । अतः यह अधिनियम उन रूढ़िवादी अंधवि वासी औश्र पर्दाप्रथा आदि से ग्रस्त परिवार की महिलाओं के लिए वि ोश रूप से कारगर सिद्ध होगा जहाँ महिलाओं को मानव नहीं वरन् चुड़ैल, कलमुंहीं, बांझ और जानवर से भी निकृश्ट समझा जाता है । वहाँ यह कानून पुरूशों को दि ाा निर्दे ा होगा । लेकिन फिर भी सरकार व समाज की ईमानदार सोच व स्वयं महिला की ईमानदार सोच और उनके कार्य के क्रियान्वयन पर हीं इस अधिनियम की सफलता पर निर्भर होगी ।

अतः अपने अधिकारों की माँग के लिए महिला को स्वयं आगे आना एवं लड़ना चाहिए ।

अंततः महिलाएँ माँ, बहन, बेटी, पत्नी होती है । परिवार के पुरूशों से उनके संबंध अत्यन्त संवेदन ाील होते हैं । बच्चों को अधिकांश संस्कार माँ से मिलते हैं । यदि समाज को सुख, समृद्ध ाली और उन्नत बनाना है तो प्रथम भार्त है इस समाज में महिला को संरक्षण लिए परिवार से समाज और भाासन से । साथ ही यह संरक्षण उन्हें पुरूश समाज से ही नहीं वरन् उन महिलाओं से भी मिलना चाहिए जो सास, ननद, देवनारानी, जेठानी के रूप में उस पर अत्याचार कर सकती है । इसके लिए कानून सदैव अपर्याप्त रहेंगे । इसके लिए सबसे अधिक आव यक है सामाजिक सोच को बदलने की साथ ही उन

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कारणों को दूर करने की जो महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को जन्म देते हैं। ताकि महिलाओं को परिवार में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सके ।

सन्दर्भ सूची :–

आर0पी0 तिवारी एवं डी0पी0 शुक्ला, भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, 1999ए पृश्ठ–173

एश्लिन कं0 कुस्टेन, वूमन एण्ड दी लॉ ए0वी0सी0 क्लीयो, इनकर्पो, केलीफोर्निया, 2003ए पृश्ठ–156

एम0राम0, वूमन सो यो इकॉनॉमिक प्राब्लम्स, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू देल्ली 2004, पृश्ठ–235

आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृश्ठ–140–141

राजाबाला सिंह, मानवाधिकार और महिलाएँ, आविश्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रब्यूटर्स, जयपुर (राजस्थान) 2006, पृश्ठ–125

राम आहूजा, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007, पृश्ठ–238

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies